राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 271/2015

रूखसाना परवीन **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर जोन, अजमेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.04.2015
आदेश की दिनांक : 21.05.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री हीरालाल गोठवाल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोश चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्दे ा दिये जावे कि अपीलार्थी को प्रशिक्षण प्राप्त दिनांक से 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ तथा चयनित वेतनमान एवं वरिष्ठता का लाभ नियमानुसार प्रदान किया जावे तथा वेतनमान नियम, 2008 के अंतर्गत शेष राशि सहित 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैः–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी विधवा/परित्यकता कोटे से आदेश दिनांक 30.06.1997 के द्वारा अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर नियुक्त हुई। नियुक्ति के समय अपीलार्थी बी.एड. योग्यताधारी नहीं थी और सरकार द्वारा अपीलार्थी को बी.एड. योग्यता अर्जित करने हेतु 3 वर्ष का समय दिया गया। योग्यतापूर्ण नहीं होने के कारण अपीलार्थी का न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया। अपीलार्थी ने वर्ष 2008–09 में बी.एड. योग्यता अर्जित करने हेतु विभाग को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, परंतु उस पर कोई विचार नहीं किया गया। अपीलार्थी ने वर्ष 2009–10 को पुनः उक्त योग्यता अर्जित करने हेतु विभाग से अनुरोध किया,

परंतु कोई अनुमति नहीं दी गई। उनका कथन है कि राज्य सरकार के परिपत्र एवं अधिसूचना जारी की गई, जिसमें अप्रशिक्षित अध्यापक जिनको निरंतर सेवा देते हुये 10 वर्ष हो चुके हैं, वह सभी सेवा लाभ प्राप्त करने के लायक हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी अन्नानमा चाकू बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में भी जो अप्रशिक्षित अध्यापक हैं, उनको लाभ प्रदान किये जाने के आदेश दिये गये हैं। अपीलार्थी ने भी विभाग को दिनांक 22.07.2014 को अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया है कि उसे भी 10 वर्ष पूर्ण होने समस्त सेवा लाभ प्रदान किये जावें, परंतु विभाग द्वारा कोई निराकरण नहीं किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा न्याय की मांग का नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित कर अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये यह प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्दे । दिये जावे कि अपीलार्थी को प्रशिक्षण प्राप्त दिनांक से 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ तथा चयनित वेतनमान एवं वरिष्ठता का लाभ नियमानुसार प्रदान किया जावे तथा वेतनमान नियम, 2008 के अंतर्गत शेष राशि सहित 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी विधवा/परित्यकता कोटे में अध्यापक पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राप्त के 3 वर्ष के भीतर प्रशिक्षित होने की अनिवार्यता है। अपीलार्थी ने अपील में स्वीकार किया है कि निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षित नहीं होने के कारण नियमानुसार न्यूनतम वेतन दिया जाना स्वीकारा है। नियुक्ति शर्त के अनुसार निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षित होने के लिये प्री–बी.एड. परीक्षा में प्रविष्टि होने व असफल रहने का स्पष्ट कथन किया है। इससे स्पष्ट है कि वह निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षित नहीं होने से राज्य सरकार के नियमानुसार वेतन/वार्षिक वेतन वृद्धि आदि प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। स्वयं के कथन के अनुसार वह बी.एड. करने में असफल रही है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 06.06.1991 के अनुसार शिक्षा विभाग में अध्यापक पद पर अप्रशिक्षित के रूप में दिनांक 01.09.1976 से पूर्व नियुक्त अशार्थियों को भी 10 वर्ष पूर्ण सेवा पर प्रशिक्षित माना जाकर उनका वेतन नियतन आदि किया जाना अभिलिखित है। यह नियम अपीलार्थी पर लागू नहीं है क्योंकि उसकी नियुक्ति

वर्ष 1997 में विधवा/परित्यकता कोटे के तहत विशिष्ट नियुक्ति के क्रम में नियुक्त है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी विधवा/परित्यकता कोटे से आदेश दिनांक 30.06.1997 के द्वारा अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर नियुक्त हुई। नियुक्ति के समय अपीलार्थी बी.एड. योग्यताधारी नहीं थी और सरकार द्वारा अपीलार्थी को बी.एड. योग्यता अर्जित करने हेतु 3 वर्ष का समय दिया गया। योग्यतापूर्ण नहीं होने के कारण अपीलार्थी का न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया। जहां तक अपीलार्थी को अप्रशिक्षित अध्यापक के पद पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर वार्षिक वेतन वृद्धि एवं चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 06.06.1991 के अनुसार शिक्षा विभाग में अध्यापक पद पर अप्रशिक्षित के रूप में दिनांक 01.09.1976 से पूर्व नियुक्त अशार्थियों को भी 10 वर्ष पूर्ण सेवा पर प्रशिक्षित माना जाकर उनका वेतन नियतन आदि किया जाना अभिलिखित है। जबकि अपीलार्थी की नियुक्ति वर्ष 1997 में विधिवा/परित्यकता कोटे से हुई है। इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी उक्त लाभ प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अपीलार्थी ने अपनी अपील में यह कथन किया है कि बी.एड. योग्यता नियुक्ति उपरांत 3 वर्ष के भीतर अर्जित करनी है। परंतु निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षित होने के लिये प्री–बी.एड. परीक्षा में प्रविष्टि होने व असफल रहने का स्पष्ट कथन किया है। इस प्रकार अपीलार्थी निर्धारित समयावधि में भी बी.एड. योग्यता अर्जित करने में असफल रही है। इस प्रकार अपीलार्थी अध्यापक के पद की आवश्यक योग्यता (बी.एड.) अर्जित नहीं करने के कारण समस्त सेवा लाभ आदि प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील में कोई बल न होने के कारण खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना–पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य